

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़(छ.ग.)

Email ID : deosarangarhbilaigarh2022@gmail.com

// आदेश //

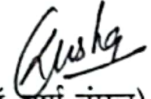
क्रमांक/4130/स्था.3/निलंबन/2024 -25

सारंगढ़ बिलाईगढ़, दिनांक 06.08/2024

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड बरमकेला के पत्र क्रमांक/506/स्थापना/2024-25 बरमकेला दिनांक 02.08.2024 के अनुसार श्री छत्तर सिंह सितार स.शि.एल.वी. शास.प्राथ.शाला बोकरामुडा वि.ख. बरमकेला के विरुद्ध दिनांक 02.08.2024 को शालेय कार्य के दौरान नशे के हालत में रहने की शिकायत प्राप्त हुई है एवं सोशल मिडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है।

2/ श्री सितार का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 23 (ख) के विपरीत पाया गया है। जो कि अनुशासनहीनता की श्रेणी को प्रदर्शित करता है।

3/ अतः छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (क) के तहत श्री छत्तर सिंह सितार स.शि.एल.वी. शास.प्राथ.शाला बोकरामुडा वि.ख. बरमकेला, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ छ.ग. को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड सारंगढ़ निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।


(डॉ. वर्षा बंसल)

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़(छ.ग.)

पृ.क्रमांक/4131/स्था.3/निलंबन/2024 -25
प्रतिलिपि -

सारंगढ़ बिलाईगढ़, दिनांक 06.08/2024

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर छ.ग. को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कलेक्टर जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ छ.ग. को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर(छ.ग.) को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, बरमकेला जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ छ.ग. को सूचनार्थ एवं आदेश की प्रति संबंधित को तामिल करवाकर पावती अभिस्वीकृती इस कार्यालय को उपलब्ध करना सुनिश्चित करे।
5. प्रधान पाठक, शास.प्राथ.शाला बोकरामुडा वि.ख. बरमकेला को सूचनार्थ।
6. श्री छत्तर सिंह सितार स.शि., शास.प्राथ.शाला बोकरामुडा वि.ख. बरमकेला को सूचनार्थ।


(डॉ. वर्षा बंसल)

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़(छ.ग.)